

5/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन अनुपस्थित  
हैं। वकील वादी को बार-बार आवाजे लगावाई  
गई। परन्तु वकील वादी अनुपस्थित हैं।  
इसलिए वादी का वाउ GR3 जे.पी. में  
स्वारिज किया जाना है। पत्रावली केसल  
शुमार दोका नम्बर से कम है। आदेश  
सुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक